



भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर

Indian Institute of Technology Indore

Guidelines Anti-ragging and Anti-Harassment

रैगिंग विरोधी और उत्पीड़न विरोधी दिशानिर्देश

1. यह अधिसूचित किया जाता है कि रैगिंग एक दंडनीय अपराध है। यदि आप पीड़ित बन जाते हैं या ऐसी कोई घटना देखते हैं, तो मामले की सूचना अपने छात्रावास वार्डन, केयरटेकर/रखवाला या मुख्य सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा सहायता डेस्क को दें। आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी।

It is notified that **Ragging is a Criminal Offence**. In case you become a victim or notice any such incident, report the matter to your Hostel Warden, Caretaker or Chief Security Officer/Security Help Desk. Your identity will be kept strictly confidential.

2. यदि संस्थान के अधिकारियों के ध्यान में यह बात आती है कि कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग गतिविधि में शामिल है, तो वह संस्थान के मानदंडों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा, किसी भी अन्य आपराधिक कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किसी दंडात्मक कानून या उस समय लागू किसी कानून के तहत की जा सकती है।

If it comes to the notice of the Institute authorities that anybody is involved in ragging activity either directly or indirectly, he/she will be liable to disciplinary action as per the Institute norms, without prejudice to any other criminal action that may be taken against such individual under any penal law or any law for the time being in force.

3. रैगिंग के विभिन्न प्रकार:

Various Types of Ragging:

- (a) रैगिंग के कई पहलू हैं, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहित बहुआयामी प्रभाव।

Ragging has several aspects, multidimensional ramifications including psychological, physical, social, political, economic, cultural, and academic.

- (b) कोई भी कार्य जो किसी छात्र की नियमित शैक्षणिक गतिविधि को रोकता है, बाधित करता है या परेशान करता है उसे रैगिंग माना जाएगा। इसी प्रकार, किसी व्यक्ति या वरिष्ठों के समूह को सौंपे गए शैक्षणिक कार्यों को पूरा करने के लिए किसी जूनियर छात्र का शोषण करना रैगिंग माना जाएगा।

Any act that prevents, disrupts, or disturbs the regular academic activity of a student will be considered as ragging. Similarly, exploiting the services of a junior student for completing the academic tasks assigned to an individual or a group of seniors will be considered as ragging.

- (c) कोई भी कार्य जो किसी छात्र की नियमित शैक्षणिक गतिविधि को रोकता है, बाधित करता है या परेशान करता है उसे रैगिंग माना जाएगा। इसी प्रकार, किसी व्यक्ति या वरिष्ठों के समूह को सौंपे गए शैक्षणिक कार्यों को पूरा करने के लिए किसी जूनियर छात्र का शोषण करना रैगिंग माना जाएगा।

Any act of financial extortion or forceful expenditure burden put on a junior student by senior student/s will be considered as ragging of economic dimensions.

- (d) शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य जिसमें इसके सभी प्रकार शामिल हैं; यौन शोषण, समलैंगिक हमले, निर्वस्त्र करना, अश्लील और भद्दे कृत्य, इशारे, जिससे शारीरिक क्षति हो या जिससे स्वास्थ्य या व्यक्ति को कोई अन्य खतरा हो, उसे आपराधिक आयाम वाली रैगिंग की श्रेणी में रखा जाएगा।

Any act of physical abuse including all variants of it; sexual abuse, homosexual assaults, stripping,



भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर

Indian Institute of Technology Indore

obscene and lewd acts, gestures, causing bodily harm or any other danger to health or the person, will be put in the category of ragging with criminal dimensions.

- (e) दुर्व्यवहार का कोई भी कार्य, चाहे मौखिक रूप से या ईमेल, स्नेल-मेल, या ब्लॉग द्वारा, रैगिंग के मनोवैज्ञानिक पहलुओं के अंतर्गत माना जाएगा। इस पहलू में सक्रिय रूप से या निष्क्रिय रूप से दूसरों की असुविधा में भाग लेने से विकृत आनंद, विचित्र या परपीड़क रोमांच प्राप्त करना भी शामिल होगा।

Any act of abuse, either verbally or by emails, snail-mails, or blogs, will be considered within the psychological aspects of ragging. This aspect will also include deriving perverted pleasure, vicarious or sadistic thrill from actively or passively participating in the discomfiture to others.

- (f) उच्च शिक्षा में प्रवेश और छात्रावास में जीवन के लिए 'नए छात्रों को तैयार करने' की कार्यवाही को भी रैगिंग के मनोवैज्ञानिक पहलू के रूप में माना जाएगा। कोई भी कार्य जो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है, उसे रैगिंग के मनोवैज्ञानिक पहलुओं के संदर्भ में वर्णित किया जाएगा। इस संबंध में, माता-पिता को सलाह दी जाती है कि वे छात्रों/बच्चों को संस्थान में अजनबियों या वरिष्ठ लोगों के साथ बातचीत करते समय संचार कौशल सीखने के लिए शिक्षित करें।

The action of 'preparing freshers' in the run up to their admission to higher education & life in hostel will also be ascribed as a psychological aspect of ragging. Any act that affects the mental health and self-confidence of students will be described in terms of the psychological aspects of ragging. In this regard, parents are advised to educate the students/children to learn communication skills while interacting with strangers or seniors in the Institute.

4. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर में रैगिंग में शामिल होने और बढ़ावा देने वाले छात्रों के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही इस प्रकार है:

Actions to be taken against students for indulging and abetting in Ragging at IIT Indore are as follows:

- (a) जैसा ऊपर उल्लिखित है रैगिंग के किसी भी कृत्य में शामिल व्यक्तियों को दी जाने वाली सजा अनुकरणीय और गंभीर होगी ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य किया जा सके। किसी भी रूप में रैगिंग में लिप्त पाए जाने वाले छात्रों को भारत में किसी भी तकनीकी संस्थान में प्रवेश लेने से रोका जा सकता है।

Punishment to be meted out to persons who indulge in any act of ragging as mentioned above will be exemplary and severe so that the same act as a deterrent against recurrence of such incidents. Students found indulging in ragging, in any form, may be debarred from taking admission in any technical institution in India.

- (b) संस्थान की एंटी-रैगिंग और एंटी-उत्पीड़न समिति द्वारा स्थापित अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर, संस्थान में रैगिंग के दोषी पाए जाने वालों के लिए संभावित सजा निम्नलिखित में से कोई एक या कोई संयोजन होगी:

Depending upon the nature and gravity of the offence as established by the Anti-Ragging and Anti-Harassment Committee of the Institute, the possible punishments for those found guilty of ragging at the Institute shall be any one or any combination of the following:



भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर

Indian Institute of Technology Indore

- (i) प्रवेश रद्द करना।
Cancellation of admission.
- (ii) कक्षाओं में भाग लेने से निलंबन।
Suspension from attending classes.
- (iii) छात्रवृत्ति/फेलोशिप और अन्य लाभों को रोकना/वापस लेना।
Withholding/withdrawing scholarship/fellowship and other benefits.
- (iv) किसी भी परीक्षण/परीक्षा, प्लेसमेंट गतिविधियों या अन्य मूल्यांकन प्रक्रियाओं में शामिल होने से रोकना।
Debarring from appearing in any test/examination, placement activities or other evaluation processes.
- (v) परिणाम रोकना।
Withholding results.
- (vi) किसी भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय बैठक, टूर्नामेंट/खेलकूद-प्रतियोगिता, युवा उत्सव आदि में संस्थान का प्रतिनिधित्व करने से रोकना।
Debarring from representing the Institution in any regional, national, or international meet, tournament, youth festival, etc.
- (vii) छात्रावास से निलंबन/निष्कासन।
Suspension/expulsion from the Hostel.
- (viii) 1 से 4 सेमेस्टर तक की अवधि के लिए संस्थान से निष्कासन।
Rustication from the Institute for period ranging from 1 to 4 semesters.
- (ix) संस्थान से निष्कासन और परिणामस्वरूप किसी अन्य संस्थान में प्रवेश पर रोक।
Expulsion from the Institute and consequent debarring from admission to any other institution.
- (x) ₹25,000/- का जुर्माना।
Fine of ₹25,000/-.
- (xi) सामूहिक दंड - जब रैगिंग के अपराध को अंजाम देने वाले या उसे बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों की पहचान नहीं की जाती है, तो संस्थान संभावित अपराधियों पर सामुदायिक दबाव सुनिश्चित करने के लिए निवारक के रूप में सामूहिक दंड का सहारा लेगा।
Collective punishment - when the persons committing or abetting the crime of ragging are not identified, the Institute will resort to collective punishment as a deterrent to ensure community pressure on the potential offenders.



भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर

Indian Institute of Technology Indore

5. अनुशासनात्मक समिति या एंटी-रैगिंग समिति के पास रैगिंग के दोषी पाए गए व्यक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा वह उचित समझे और निर्धारित कानून के तहत, यदि कोई हो।
The Disciplinary Committee or the Anti-ragging Committee reserves the right to take any kind of action against the individual found guilty of ragging, as deemed fit by it and under the prescribed law, if any.